पंचायत में महिला आरक्षण की उपलब्धियाँ

[1]डॉ. नवनीत कुमार वर्मा
[1]शोध निर्देशक, प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, सिवाना
[2]कमल मीणा
[2]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सारांश

यदि भारत एक विकसित देश के रूप में उभरने का लक्ष्य रखता है, तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है, लिंग अंतर महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है। जैसा कि सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए हमें हर स्तर पर महिला नेतृत्व की जरूरत है ताकि महिलाओं की आवाज और मुद्दों पर चर्चा हो सके और उन्हें पूरे देश के सामने लाया जा सके। इसके लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की पहल शुरू की गयी. विभिन्न राज्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि पंचायत राज्य का विषय है। इस सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी, आरक्षण का लाभ समाज में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं ला सका है क्योंकि अधिकांश मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति ही कर्तव्यों के प्रबंधक होते हैं।

मुख्य शब्द : समान, पंचायत,आरक्षण, प्रतिनिधि, महिला ।

Corresponding authors
[1]शोध निर्देशक, प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, सिवाना email- drnavneetverma@gmail.com.
[2]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर email- Kamal.bobas@gmail.com

परिचय

जब भारत ने अपना संविधान अपनाया तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मतदान का समान अधिकार प्रदान किया गया, अब तक भारत में 17 आम चुनाव हो चुके हैं, फिर भी लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी लोकसभा की कुल संख्या का 20 प्रतिशत भी नहीं रहा है। वर्तमान में लोकसभा की कुल संख्या 543 में से केवल 81 महिलाएँ सदस्य हैं, जिसका मूल अर्थ कुल सदन की संख्या का 14 प्रतिशत है, आश्चर्यजनक रूप से यह उच्चतम प्रतिशत है। संसदों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, कई लोगों ने संसद में महिला आरक्षण का विचार सुझाया है। हालाँकि कुछ राजनीतिक दलों में संगठन स्तर पर कुछ प्रगति देखी गई है, जैसे बीजू जनता दल ने 2019 के आम चुनाव में अपनी कुल लोकसभा सीटों में से 33 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को आवंटित कीं। विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कारण भारत में महिलाओं की भागीदारी हमेशा बेहद कम रही है, उस समस्या को ठीक करने के लिए संसद ने 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए और महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण की शुरुआत की।

आंकडों के स्त्रोत - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2022, भारत निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत की जनगणना, संबंधी आँकड़े उपयोग में लिए गए है।

पंचायत में महिला आरक्षण की उपलब्धियाँ

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे आगे चलकर 20 से अधिक राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। पंचायतीराज मंत्रालय के अनुसार भारत में पंचायती राज संस्थाओं में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 31 लाख है, जिनमें से लगभग 14.5 लाख महिलाएँ हैं। इस प्रकार, पंचायतों

में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 46 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जो विश्व में स्थानीय शासन स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का सबसे उच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है।

राज्य-स्तरीय आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि महिला आरक्षण केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से प्रभावी नीति सिद्ध हुई है। राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पंचायतों के सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू है। उदाहरणस्वरूप, राजस्थान में लगभग 1.5 लाख महिला निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत हैं। इन राज्यों में किए गए अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों में पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा जैसे मुद्दों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

पंचायतों में महिला आरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक विकास संकेतकों में देखा जा सकता है। विभिन्न अध्ययन और नीति रिपोर्ट यह दर्शाते हैं कि जिन पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व अधिक है, वहाँ स्वच्छता योजनाओं की प्रभावशीलता में 15-20 प्रतिशत तक सुधार हुआ है तथा बालिका शिक्षा के नामांकन में 10-15 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार महिला प्रतिनिधि बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता के साथ उठाती हैं, जिससे विकास की प्राथमिकताओं में मानवीय दृष्टिकोण को बल मिलता है।

महिला आरक्षण का प्रभाव केवल सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न रहकर आर्थिक सशक्तिकरण में भी परिलक्षित हुआ है। महिला प्रतिनिधित्व वाली पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में औसतन 15-20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा महिलाओं की औसत आय में 10-25 प्रतिशत तक सुधार देखा गया है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि महिला नेतृत्व स्थानीय आजीविका, लघु उद्योग और सामुदायिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय-क्षमता सुदृढ़ हुई है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण ने कानून-जागरूकता और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह और दहेज निषेध जैसे कानूनों के प्रति ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने पंचायत बैठकों को केवल प्रशासनिक मंच न बनाकर सामाजिक न्याय और अधिकार-संरक्षण के मंच के रूप में विकसित किया है। जनगणना और विभिन्न सामाजिक अनुसंधानों के निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महिला नेतृत्व ने पंचायतों की कार्यसंस्कृति को अधिक सहभागी और संवेदनशील बनाया है।

समग्र रूप से देखा जाए तो पंचायतों में महिला आरक्षण ने भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। यद्यपि 'सरपंच-पति' जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी सांख्यिकीय साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि महिला आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरणकृतीनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। World Economic Forum dh Global Gender Gap Report में भारत की निम्न रैंकिंग यह संकेत देती है कि अभी और प्रयास आवश्यक हैं, किंतु पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण इस दिशा में एक मजबूत और आशाजनक आधार प्रदान करता है।

महिला नेतृत्व में वृद्धि- 73वें संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य पंचायत को महिला नेताओं को तैयार करने के लिए इनक्यूबेशन हब में परिवर्तित करना था जो भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। 20 से अधिक भारतीय राज्यों ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। इस संशोधन का ही परिणाम है कि भारत में वर्तमान में सभी पंचायत संस्थाओं में कुल 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान- जो महिलाएं मूल रूप से घरेलू गतिविधियाँ करती थीं, उन्होंने अचानक चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया, यह थी ग्रामीण समाज में महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत। जो महिलाएं विजेता बनकर उभरी, उन्होंने मुखिया और सरपंच का पद संभाला और अपने-अपने गांव या ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया।

समानता के अधिकार को कायम रखना- आरक्षण ने महिलाओं को गाँव के शासन में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है जो उन्हें पुरुषों के साथ समान स्तर पर समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए सम्मान और आत्मविश्वास देता है। 1990 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की भी स्थापना की गई है जो महिलाओं के अधिकारों को पूरा करता है और महिलाओं को दिए गए अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण- निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गाँव में महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में महिलाओं की राय भी मायने रखती है क्योंकि उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का समान अधिकार है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए और इससे महिलाओं को निर्णय लेने में अपना रुख अपनाने में मदद मिलती है जो उनका मौलिक अधिकार है। कई महिलाओं ने स्व-आय के विभिन्न तरीके उत्पन्न करके आत्म-स्वतंत्रता हासिल की है जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। उन्होंने सामूहिक रूप से गांव के आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए काम करने का निर्णय लिया है।

गाँव में महिलाओं के प्रति धारणा में बदलाव- 73वें संशोधन अधिनियम के बाद, परिदृश्य पूरी तरह से नहीं बदला है लेकिन निश्चित रूप से स्थिति में प्रगति हुई है। महिलाओं की क्षमताओं के प्रति धारणा बदल रही है और जब महिलाएं समाज के विकास में योगदान देने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ सम्मान की दृष्टि से व्यवहार किया जाता है।

शासन के क्षेत्र में लिंग अनुपात को बनाए रखना- आरक्षण के बाद भी व्यवस्था में महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है और आधिकारिक पदों पर महिलाओं की कमी है। इसलिए पंचायती राज में महिलाओं की यह समावेशिता लैंगिक समावेशिता प्रणाली में कमी को पूरा करने के लिए एक महान अग्रगामी कदम साबित हुई है।

अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा- सुषमा भादू, जो हरियाणा राज्य के तीन गांवों सलाम खेड़ा, छाबला मोरी और धानी मियां खान की सरपंच चुनी गईं, ने महिलाओं के अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक मॉडल तैयार किया था। तेलंगाना के 8 आदिवासी गांवों की

निर्वाचित सरपंच पद्मा बाई ने एनजीओ से 30000 का ऋण लिया और गांवों में गरीब किसानों की मदद के लिए हंसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी जैसे कृषि उपकरण किराए पर लेने का केंद्र शुरू किया। शासन-प्रशासन में महिलाओं के आगे आने से अन्य महिलाओं के मन में भी प्रेरणा की भावना पैदा होती है।

हरियाणा राज्य के तीन गांवों सलाम खेड़ा, छाबला मोरी और धानी मियां खान की सरपंच चुनी गईं सुषमा भादू ने ग्रामीण महिला नेतृत्व का एक अनूठा और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महिला नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि व्यावहारिक और परिवर्तनकारी भी हो सकता है।

सुषमा भादू ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए एक समावेशी शासन मॉडल विकसित किया। इस मॉडल का मुख्य आधार था -

- महिलाओं को पंचायत की बैठकों में खुलकर बोलने का अवसर देना
- घरेलू हिंसा, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर सामूहिक चर्चा
- महिलाओं को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से जोड़ना
- स्वयं सहायता समूहों को पंचायत से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना

उनका नेतृत्व इस बात का प्रमाण बना कि जब महिलाएँ निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनती हैं, तो पंचायत केवल प्रशासनिक संस्था नहीं रहती, बल्कि सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता का केंद्र बन जाती है।

तेलंगाना के 8 आदिवासी गांवों की निर्वाचित सरपंच पद्मा बाई का उदाहरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका को उजागर करता है। उन्होंने एक एनजीओ से मात्र 30,000 रुपये का ऋण लेकर गांवों के गरीब और छोटे किसानों के लिए कृषि उपकरण किराया केंद्र स्थापित किया।

इस केंद्र के माध्यम से हंसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी जैसे आवश्यक कृषि उपकरण किसानों को बहुत कम दर पर उपलब्ध कराए गए। इसके बहुआयामी प्रभाव दिखाई दिए -

- गरीब किसानों को महंगे उपकरण खरीदने की मजबूरी से राहत मिली
- कृषि उत्पादन की प्रक्रिया आसान और समयबद्ध हुई
- गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए
- महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत हुई

पद्मा बाई का यह प्रयास यह दर्शाता है कि महिला नेतृत्व केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आर्थिक नवाचार और स्थानीय विकास का भी माध्यम बन सकता है।

महिला नेतृत्व का प्रेरणात्मक प्रभाव

जब महिलाएँ सरपंच, प्रधान या जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आती हैं, तो उसका प्रभाव केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहता। इससे गांव की अन्य महिलाओं में यह भावना विकसित होती है कि -

- वे भी नेतृत्व कर सकती हैं
- उनकी आवाज मायने रखती है
- वे केवल परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज का नेतृत्व भी कर सकती हैं

इस प्रकार, महिला शासन-प्रशासन न केवल संरचनात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी तेज करता है। यह प्रेरणा अगली पीढ़ी की बालिकाओं तक पहुँचती है और एक दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की नींव रखती है।

सुषमा भादू और पद्मा बाई जैसे उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व कोई अपवाद नहीं, बल्कि विकास का सशक्त साधन है। जब महिलाओं को निर्णय-निर्माण का अवसर मिलता है, तो वे समाज को अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि महिला प्रतिनिधित्व केवल आरक्षण की पूर्ति नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बन जाता है।

जनसंख्या नियंत्रण- कुल 12 भारतीय राज्यों में ऐसा प्रावधान है जो 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करता है, इसने कहीं न कहीं ग्रामीण समाज में जनसंख्या नियंत्रण की पहल में भी योगदान दिया है।

ग्रामीण महिलाओं में सम्मान की भावना और कानूनों के प्रति जागरूकता-पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी ने उन विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूकता की भावना विकसित की है जो महिलाओं को सामाजिक अन्याय से बचाते हैं जिसकी महिला समाज में हमेशा कमी रही है। महिलाएं समाज के लाभ के लिए जिम्मेदारियों को निभाने में कुशल बनने के लिए राजनीति से लेकर वित्त तक विभिन्न विविध क्षेत्रों में खुद को शिक्षित करने की कोशिश कर रही हैं।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी (विशेषकर 73वें संविधान संशोधन के बाद) ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग और कुछ आलोचक इसके विरोध में कई तर्क देते हैं। ये तर्क मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक सोच, व्यावहारिक कठिनाइयों और सामाजिक ढांचे पर आधारित हैं।

यहाँ उन प्रमुख तर्कों का विवरण दिया गया है जो महिलाओं की भागीदारी के विरोध या आलोचना में दिए जाते हैं

1. प्रधान-पति या सरपंच-पति संस्कृति

विरोध करने वालों का सबसे बड़ा और व्यावहारिक तर्क यह है कि महिला आरक्षण केवल कागजों पर है।

महिलाएं केवल रबर स्टैम्प या कठपुतली की तरह काम करती हैं। चुनाव जीतने के बाद सारा कामकाज, निर्णय लेने की शक्ति और बैठकों में हिस्सा लेने का काम उनके पति, बेटे या ससुर करते हैं।

आलोचकों का कहना है कि जब सत्ता पुरुषों के हाथ में ही रहनी है, तो महिलाओं को पद देने का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है।

2. शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम रही है।

आलोचक कहते हैं कि कई निर्वाचित महिलाएं अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी होती हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं, बजट, कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ नहीं होती।

इससे पंचायत का विकास कार्य बाधित होता है और अधिकारी उन्हें आसानी से गुमराह कर सकते हैं या भ्रष्टाचार कर सकते हैं।

3. घरेलू जिम्मेदारियों और परिवार की उपेक्षा

भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर संभालने वाली मानी जाती है।

यदि महिलाएं राजनीति और पंचायत के कामों में समय देंगी, तो बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और घर के काम प्रभावित होंगे।

इससे पारिवारिक ढांचा चरमरा सकता है और घर में कलह (लड़ाई-झगड़ा) बढ़ सकता है।

4. सामाजिक मर्यादा और सुरक्षा का हवाला

रूढ़िवादी पक्ष महिलाओं के घर से बाहर निकलने और गैर-पुरुषों के साथ काम करने को अच्छा नहीं मानता।

पंचायत के काम के लिए महिलाओं को अधिकारियों, पुलिस और गांव के अन्य पुरुषों के साथ उठना-बैठना पड़ता है, जो मर्यादा के खिलाफ माना जाता है।

यह तर्क भी दिया जाता है कि राजनीति में हिंसा और बाहुबल का बोलबाला है, और महिलाएं ऐसे माहौल में सुरक्षित नहीं रह सकतीं या दबंगों का सामना नहीं कर सकतीं।

5. केवल रसूखदार परिवारों को लाभ

आलोचकों का कहना है कि आरक्षण का लाभ गरीब या जरूरतमंद महिलाओं को नहीं मिल रहा। चुनाव वही महिलाएं जीतती हैं जो पहले से ही शक्तिशाली, जमींदार या राजनीतिक परिवारों (बाहुबली नेताओं की पत्नियां) से आती हैं। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि वही पुराना परिवारवाद चलता रहता है।

6. गुटबाजी और सामाजिक तनाव

कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं के राजनीति में आने से गांवों में गुटबाजी बढ़ती है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा होती है, और कभी-कभी यह दुश्मनी महिलाओं के चरित्र हनन तक पहुंच जाती है, जो ग्रामीण परिवेश के लिए घातक है।

7. निर्णय लेने में स्वतंत्रता का अभाव

आलोचक कहते हैं कि महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पातीं। वे अक्सर जाति पंचायत या परिवार के पुरुषों के दबाव में आकर फैसले लेती हैं, जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता। हालांकि ये तर्क अक्सर समाज के रूढ़िवादी हिस्से द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन प्रधान-पति जैसी समस्याएं वास्तविक चुनौतियां भी हैं। फिर भी, इन तर्कों के आधार पर महिलाओं की भागीदारी को रोकना गलत है। समाधान यह नहीं है कि महिलाओं को रोका जाए, बल्कि समाधान यह है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, साक्षर बनाया जाए और प्रशासन द्वारा प्रधान-पति कल्चर पर सख्त कार्रवाई की जाए।

निष्कर्ष

यह अब एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि महिला आरक्षण ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विशेषकर पंचायत स्तर पर, व्यापक और सार्थक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने न केवल शासन की संरचना को अधिक समावेशी बनाया है, बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को भी अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और जनोन्मुखी स्वरूप प्रदान किया है। ग्रामीण भारत में जहाँ लंबे समय तक महिलाएँ सार्वजनिक जीवन से वंचित रही थीं, वहाँ पंचायतों के माध्यम से उन्हें नेतृत्व, प्रशासन और नीति-निर्धारण में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है।

महिला आरक्षण के परिणामस्वरूप पंचायतें जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुई हैं। इन संस्थाओं से उभरने वाली महिलाएँ प्रशासनिक अनुभव, सामाजिक स्वीकृति और आत्मविश्वास अर्जित कर रही हैं, जो भविष्य में उन्हें उच्च राजनीतिक दायित्वों के लिए तैयार करता है। यह अपेक्षा करना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि आने वाले दशक में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से अनेक नई महिला नेता उभरेंगी, जो केवल स्थानीय शासन तक सीमित न रहकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाएँगी।

लोकसभा में वर्तमान में लगभग 14 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व को केवल एक संयोग नहीं माना जा सकता। यह उस दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी नींव पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण के माध्यम से रखी गई थी। विभिन्न नीतियों, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक योजनाओं ने मिलकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। पंचायतों में प्राप्त अनुभव ने महिलाओं को राजनीतिक व्यवहार, चुनावी प्रक्रिया और जनसंपर्क की व्यावहारिक समझ प्रदान की है, जिसने उच्च सदनों तक उनकी पहुँच को संभव बनाया है।

इसके अतिरिक्त, महिला आरक्षण का प्रभाव केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा और प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया है। महिला नेतृत्व के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और महिला-बाल कल्याण जैसे विषयों को शासन की मुख्यधारा में स्थान मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि जब महिलाओं को निर्णय-निर्माण का अवसर मिलता है, तो विकास का स्वरूप अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण बनता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो पंचायतों में महिला आरक्षण ने भारतीय लोकतंत्र को जड़ से मजबूत किया है। यह व्यवस्था न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है, बल्कि समावेशी, सहभागी और उत्तरदायी शासन की अवधारणा को भी साकार करती है। भविष्य में यदि इस व्यवस्था को प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण और सामाजिक समर्थन के साथ और सुदृढ़ किया जाए, तो यह महिला नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची

1. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2022, जिनेवाः वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2022।

2. भारत निर्वाचन आयोग, सत्रहवीं लोकसभा के सामान्य चुनावों की सांख्यिकीय रिपोर्ट 2019, नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग, 2019।

3. लोकसभा सचिवालय, सत्रहवीं लोकसभाः सदस्यों की लैंगिक प्रोफाइल, नई दिल्लीः संसद सचिवालय, 2023।

4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, पंचायती राज सांख्यिकीय प्रोफाइल 2023, नई दिल्लीः भारत सरकार, 2023।

5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यवार पंचायती राज में महिला आरक्षण की स्थिति, नई दिल्लीः भारत सरकार, 2023।

6. नीति आयोग, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय शासनः एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, नई दिल्लीः भारत सरकार, 2022।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (वार्षिक प्रतिवेदन), नई दिल्लीः भारत सरकार, 2023।

8. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, पंचायत चुनावों में दो-संतान मानदंड से संबंधित राज्य प्रावधान, नई दिल्लीः भारत सरकार, 2022।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन 2022, नई दिल्लीः भारत सरकार, 2022।

10. भारत की जनगणना, प्राथमिक जनगणना सारांशः ग्रामीण एवं स्थानीय स्वशासन संबंधी आँकड़े, नई दिल्लीः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2011।